

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432]

भोपाल, शुक्रवार दिनांक 6 नवम्बर 2020—कार्तिक 15, शक 1942

विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

फा. क्र. 84 (14)—उप.चु.—2020—चार—127.— भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 434 / म०प्र०—वि०सा०—2020—(ए०आर०ओ०),  
दिनांक 04 नवम्बर 2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

अरुण कुमार तोमर, सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 04 नवम्बर 2020-13 कार्तिक, 1942 (शक)

### अधिसूचना

संख्या 434-म.प्र.-वि.स.-2020-(ए.आर.ओ.) .- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति से संबंधित समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434 - म.प्र.-वि.स.-2020 (ए.आर.ओ.), दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (3) में, नीचे दिये गये निर्वाचन क्षेत्रों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :-

### सारणी

विधान सभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (मतगणना)	अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (पोस्टल बैलेट)
(1)	(2)	(3)
28-बामोरी	-	1. तहसीलदार, गुना (नगरीय) 2. तहसीलदार, राघौगढ़

2. यह नियुक्तियां मतों की गणना के पूरे होने के पश्चात् प्रभावी नहीं रह जाएंगी.

आदेश से,  
हस्ता./-  
(मधुसूदन गुप्ता)  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग,

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi –110 001

New Delhi, Dated 04<sup>th</sup> November, 2020 – 13 Kartika, 1942 (SAKA)**NOTIFICATION**

No.434-MP -LA- 2020 (ARO) – In Pursuance of the provisions of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, hereby, makes the following amendment in its Notification No. 434-MP-LA- 2020 (ARO), dated 22<sup>nd</sup> October, 2020, as amended from time to time; relating to appointment of Assistant Returning Officers of Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, namely :-

In column (03) of the Table appended to the said Notification, the existing entries against the Assembly Constituencies mentioned below shall be substituted with the following entries :-

**TABLE**

Sl.No.	Assembly No-Name	Designation of Assistant Returning Officer for Counting of Postal Ballot
(1)	(2)	(3)
01	28-Bamori	1. Tehsildar, Guna (Urban) 2. Tehsildar, Raghogarh

2. This appointment will cease to be effective after completion of counting of votes.

By order,

Sd./-  
(MADHUSUDAN GUPTA)  
Secretary,  
Election Commission of India.